न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

(1)प्रकरण संख्या–अपील डिक्री/टी.ए./7687/2001/पाली

श्री चारभुजा जी का मंदिर वाकै भिमालिया, तहसील मारवाड जंक्शन जरिये ट्रस्टियानः–

1– भीकमचंद पुत्र भंवरलाल जी सिसोदिया फालना स्टेशन
2– छोगालाल पुत्र लक्ष्मण जी भाटी गांव नाडोल
3– रमेश कुमार पुत्र अमरचंद जी राखेजा सोजतसिटी
4– मांगीलाल पुत्र चिमनाराम जी डाबी गांव ठाकुरला
5– मूलचंद पुत्र राधाकिशन जी डाबी फालना स्टेशन
6– मिश्रीलाल पुत्र ताराचंद जी दहिया गांव किशनपुरा
7– कन्हैयालाल पुत्र हीरालाल जी गोयल सोजत रोड
8– गोविंदलाल पुत्र श्यामलाल जी सोलंकी पाली
9– सोहनलाल पुत्र हस्तीमल जी मारवाड जंक्शन
10– ओगडचंद पुत्र लच्छाराम जी डाबी गुन्दोज
11– किशनलाल पुत्र गुणेशमल जी सोलंकी राणावास

–अपीलार्थीगण

बनाम

1– भाना पुत्र केसा जाति घांची निवासी भिमालिया तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली
2– मोहनलाल पुत्र तुलसा
3– गैनाराम पुत्र तुलसा
4– धनाराम पुत्र तुलसा
5– वजाराम पुत्र तुलसा
6– अमृतलाल पुत्र तुलसा
7– कन्या पुत्री तुलसा
8– मूली देवी पुत्री तुलसा
सभी निवासी भिमालिया तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली
9– खुमला पुत्र केसा जाति घांची निवासी भिमालिया तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली
10–दुर्गा (मृतक)पुत्र केसा जाति घांची निवासी भिमालिया तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली
10/1 बाबूलाल पुत्र स्व0 दुर्गा
10/2 रमेश पुत्र स्व0 दुर्गा
10/3 कैलाश पुत्र स्व0 दुर्गा
निवासी ग्राम भीमालिया तहसील मारवाड जंक्शन, जिला पाली
11– रामा पुत्र केसा जाति घांची निवासी भिमालिया तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली
12– रतना पुत्र केसा जाति घांची निवासी भिमालिया तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली

–प्रत्यर्थीगण

(2)प्रकरण संख्या–अपील डिक्री/टी.ए./7688/2001/पाली

श्री चारभुजा जी का मंदिर वाकै भिमालिया, तहसील मारवाड जंक्शन जरिये ट्रस्टियानः–

1– भीकमचंद पुत्र भंवरलाल जी सिसोदिया फालना स्टेशन
2– छोगालाल पुत्र लक्ष्मण जी भाटी गांव नाडोल
3– रमेश कुमार पुत्र अमरचंद जी राखेजा सोजतसिटी
4– मांगीलाल पुत्र चिमनाराम जी डाबी गांव ठाकुरला
5– मूलचंद पुत्र राधाकिशन जी डाबी फालना स्टेशन
6– मिश्रीलाल पुत्र ताराचंद जी दहिया गांव किशनपुरा
7– कन्हैयालाल पुत्र हीरालाल जी गोयल सोजत रोड
8– गोविंदलाल पुत्र श्यामलाल जी सोलंकी पाली
9– सोहनलाल पुत्र हस्तीमल जी मारवाड जंक्शन
10– ओगडचंद पुत्र लच्छाराम जी डाबी गुन्दोज
11– किशनलाल पुत्र गुणेशमल जी सोलंकी राणावास

–अपीलार्थीगण

बनाम

1– भाना पुत्र केसा मृतक जरिये वारिसान–
1/1– ताराराम पुत्र भानाराम
1/2– गोबरराम पुत्र भानाराम
1/3– पानी देवी पुत्री भानाराम
1/4– दाखु पुत्र भानाराम
समस्त जाति घांची निवासी भिमालिया तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली
2– मोहनलाल पुत्र तुलसा मृतक जरिये वारिसान–
2/1– तुलछी बेवा मोहनलाल
2/2– गीता पुत्री मोहनलाल
2/3– वेनाराम पुत्र मोहनलाल
2/4– संतोष पुत्री मोहनलाल
2/5– नारायण पुत्र मोहनलाल नाबालिक जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता तुलछी बेवा मोहनलाल
समस्त जाति घांची निवासी भिमालिया तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली
3– गैनाराम पुत्र तुलसा
4– धनाराम पुत्र तुलसा
5– वजाराम पुत्र तुलसा
6– अमृतलाल पुत्र तुलसा
7– कन्या पुत्री तुलसा
8– मूली देवी पुत्री तुलसा
सभी निवासी भिमालिया तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली
9– खुमला(मृतक) पुत्र केसा जाति घांची निवासी भिमालिया तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली
10–दुर्गा (मृतक)पुत्र केसा जाति घांची निवासी भिमालिया तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली
10/1 बाबूलाल पुत्र स्व0 दुर्गा

10/2 रमेश पुत्र स्व0 दुर्गा
10/3 कैलाश पुत्र स्व0 दुर्गा
निवासी ग्राम भीमालिया तहसील मारवाड जंक्शन, जिला पाली
11– रामा(मृतक) पुत्र केसा जाति घांची निवासी भिमालिया तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली
12– रतना पुत्र केसा जाति घांची निवासी भिमालिया तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली

–प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री गणेश कुमार, सदस्य
डॉ राकेश कुमार शर्मा, सदस्य

उपस्थितः–
श्री ओ.एल. दवे, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता, प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांकः 28–02–2023

अपीलार्थीगण ने यह दोनों अपीले राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा अपील संख्या–35/95 व 18/95 बउनवानी श्री चारभुजा जी व अन्य बनाम भाना व अन्य में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25–08–2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– दोनों प्रकरणों के तथ्य, विवाद बिन्दू एवं पक्षकारों के समान होने से विद्वान अधिवक्तागण की सहमति से इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। निर्णय प्रति प्रत्येक पत्रावली में रखी जावे।

3– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि मंदिर श्री चारभुजा जी की ओर से ट्रस्टियों ने सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पाली कैम्प सोजत के न्यायालय में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 183 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मौजा, भिमालिया में श्री चारभुजाजी का मंदिर दर्जी समाज द्वारा बनाया गया है तथा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के तहत रजिस्ट्रर्ड है। आराजी खसरा नंबर 90 रकबा 76 बीघा 5 बिस्वा, 93 रकबा 28 बीघा 14 बिस्वा, 94 रकबा 41 बीघा 18 बिस्वा, 95 रकबा 42 बीघा 6 बिस्वा भूमि मंदिर श्री चारभुजाजी की डोली की है तथा

प्रतिवादी सं0 6 गैनदास को मंदिर का पुजारी के रूप में नियुक्त हुआ था, संवत् 2010 के सैटलमेंन्ट में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने आधा हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 6 ने आधा हिस्सा दर्ज करवा लिया। मंदिर श्री चारभुजाजी श्सास्वत नाबालिक है जिसकी खातेदारी की आराजी में किसी भी शख्स को हक प्राप्त नहीं होते है इसलिए आराजी पुनः मंदिर श्री चारभुजाजी की खातेदारी में घोषित की जाकर प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादीगण को दिलाया जावे एवं प्रतिवादी को पुनः वादी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करने के लिए पाबंद फरमाया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र को दर्ज रजिस्टर करने के उपरान्त प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया। प्रतिवादीगण संख्या–1 से 5 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर विवादित आराजी पर प्रतिवादी संख्या 6 ने कभी काश्त नहीं करवाई और मंदिर द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को काश्त कर दी गई थी और बाकी परिवार के सदस्य होने के कारण उसके संयुक्त खातेदार हो गये है। जागीर अधिकार 01.07.1963 राजस्थान सरकार द्वारा पुर्नग्रहित कर दिए गये इसलिए प्रतिवादीगण खातेदार हो गये हैं उनका एडवर्स पजेशन भी हो गया है। विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष की मौखिक साक्ष्य लिपिबद्ध करने के उपरान्त उभयपक्ष की बहस सुनकर निर्णय दिनांक 09–03–1995 से वादीगण का वाद खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित इस निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थीगण ने राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के न्यायालय में दो अपीले प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25–08–2001 से अस्वीकार कर दिया। इसी निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह दोनों द्वितीय अपीले मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

4– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस बहस सुनी।

5– विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क है कि वादी ने विवादग्रस्त आराजी के संबंध में दावा अन्तर्गत धारा 88, 183 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया जो खारिज किया जिसके विरूद्ध राजस्व अपीलीय प्राधिकारी ने अपील पेश की वह भी खारिज हुई इसलिए अब यह द्वितीय अपील पेश की गई है। जमीन मंदिर की जागीरी की थी। सैटलमेन्ट ने एंट्री बदलते हुए प्रतिवादी के नाम कर दी जबकि सैटलमेन्ट को प्रविष्टि बलदने का कोई अधिकार नहीं है और उस आधार पर प्रतिवादी रैस्पोडेन्ट ने कब्जा प्राप्त कर लिया जो कि अवैध कब्जे की श्रेणी में आता है। अतः कब्जा वापस दिलाया जावे। मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिक होती है और उसका संरक्षक पुजारी होता है। प्रतिवादी पुजारी होते हुए खातेदार नहीं हो सकता है, आगे तर्क किया है कि विचारण न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों के अभिवचनों के आधार पर तनकी नहीं बनायी गई और निर्णय में भी यह उल्लेख किया है कि तनकी नहीं बनाई गई, फिर भी तनकी बनाये बिना ही निर्णय पारित कर दिया और प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा भी न तो कोई तनकी बनाई और न ही कोई

पांइन्ट ऑफ डिटरमिनेशन बनाया और न ही मामला रिमांड किया। जबकि तनकी बनाये जाने और तनकी पर अभिवचनों एवं साक्ष्य का विवेचन करना एवं निष्कर्ष दिया जाना आवश्यक है। प्रथम अपीलीय न्यायालय का विधिक अधिकार है कि प्रत्येक तनकी पर विवेचन करे। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपने तर्को के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये–

1. 2012 आरआरटी पेज 177
2. 2005 आरबीजे पेज 606
3. 2011 डीएनजे (सर्वोच्च न्यायालय) पेज 132
4. 2001 एआईआर (सर्वोच्च न्यायालय) पेज 2171
5. 2018 आरआरटी (1) पेज 317
6. 2022 आरआरटी (1) पेज 13
7. 1973 आरआरडी पेज 20
8. 2022 आरआरटी (2) पेज 1001

6– विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क किया कि विचारण न्यायालय में दोनों पक्षो ने सहमति से बहस की थी इसलिए तनकी बनाया जाना आवश्यक नहीं था और जब तनकी बनायी ही नहीं तो तनकीवार निर्णय कैसे हो सकता है। इस निर्णय में क्या अवैधता है, ऐसा कोई बिन्दु नहीं उठाया गया है। मंदिर जागीरी का था इसलिए कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। जागीरी रिज्यूम 1963 में हुई। जब रैस्पोडैन्ट खातेदार था। मंदिर का नामांतकरण कॉलम नंबर चार में था। मुआवजा राशि मंदिर ने प्राप्त किया और मंदिर कभी खातेदार खुद काश्त कभी रहा ही नहीं और आदेश 41 नियम 25 में इशू बनाकर निर्णय अपास्त किए बिना पत्रावली भेजी जा सकती है। विद्वान अधिवक्ता रैस्पोडैन्ट ने अपने तर्को के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये–

1. 2003 आरआरटी (2) पेज 739
2. 2015 आरबीजे पेज 334
3. 2009 आरबीजे पेज 725
4. 2015 आरबीजे पेज 486

7– उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं पारित निर्णयों का अवलोकन किया।

8– **न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह है कि क्या मूल वाद में तनकी बनाये बिना प्रकरण में विनिश्चय किया जा सकता है? और क्या चुनौतिग्रस्त निर्णय स्थिर रखे जाने योग्य है?**

9– प्रस्तुत प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि विचारण न्यायालय द्वारा कोई तनकी कायम नहीं की गई है। इस संबंध में विचारण न्यायालय के निर्णय के पेज नंबर दो में यह उल्लेख किया है किः– इस वाद में दिनांक 04.02.1976 की आदेशिका में तनकीयात कायम करने का उल्लेख है

किन्तु न तो इस आदेशिका पर पर्व पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर है तथा न ही जो तनकीयात बनाई गई थी उस पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर है एवं न ही तनकीयात कायम होने की पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा पुष्टि ही की गई है। ऐसी परिस्थिति में यही माना जा सकता है कि इस वाद में पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा तनकीयात कायम नहीं की गई है और आगे यह उल्लेख किया है किः– इस वाद में दोनों पक्षकारान ने अपनी–अपनी शहादत पेश की है इससे स्पष्ट है कि दोनों पक्षकारान ने वाद को समझ लिया है अतः वाद बिन्दु नहीं बनाये जाने से कोई फर्क नहीं पडता है अर्थात् विचारण न्यायालय द्वारा विवाद्यक बिन्दु नहीं बनाये गये है। आदेश 14 नियम 1 सीपीसी में यह व्यवस्था दी गई हैः–

(1) विवाद्यक तब पैदा होता है जबकि तथ्य या विधि की कोई तात्विक प्रतिपादन एक पक्षकार द्वारा प्रतिज्ञात और दूसरे पक्षकार द्वारा प्रत्याख्यात की जाती है।

(2) तात्विक प्रतिपादनाएॅ विधि या तथ्य की वे प्रतिपादनाएॅ है जिन्हें वाद लाने का अपना अधिकार दर्शित करने के लिए वादी को अभिकथित करना होगा या अपनी प्रतिरक्षा गठित करने के लिए प्रतिवादी को अभिकथित करना होगा।

(3) एक पक्षकार द्वारा प्रतिज्ञात और दूसरे पक्षकार द्वारा प्रत्याख्यात हर एक तात्विक प्रतिपादन एक सुभिन्न विवाद्यक का विषय होगी।

(4) विवाद्यक दो किस्म के होते है– (क) तथ्य विवाद्यक (ख) विधि विवाद्यक

(5) न्यायालय वाद की प्रथम सुनवाई में वादपत्र को और यदि कोई लिखित कथन हो तो उसे पढने के पश्चात् और (आदेश 10 के नियम 2 के अधीन परीक्षा करने के पश्चात् तथा पक्षकारों या उनके प्लीडरों की सुनवाई करने के पश्चात्) यह अभिनिश्चित करेगा कि तथ्य की या विधि की किन तात्विक प्रतिपादनाओं के बारे में पक्षकारों में मतभेद है और तब वह उन विवाद्यकों की विरचना और अभिलेख (Frame & Record The issue) करने के लिए अग्रसर होगा जिनके बारे में यह प्रतीत होता है कि मामले का ठीक विनिश्चय उन पर निर्भर करता है।

आदेश 14 नियम 2 सीपीसी में यह भी उल्लेख किया गया है कि सभी विवाद्यकों में निर्णय सुना जायेगा।

विद्धान अधिवक्ता रैस्पोडैन्ट कि ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2003 आरआरटी (2) पेज 739 में यह व्यक्त किया गया है कि– सिविल प्रकिया संहिता, 1908– आदेश 41 नियम 24– राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 धारा 140 निचले न्यायालयों ने प्रत्येक तनकी पर पृथक निर्णय नहीं दिया– निर्णय देने हेतु यदि साक्ष्य पर्याप्त है, तनकीयों को पुनः निश्चित कर व साक्ष्य का विवेचन कर अपीलीय न्यायालय अपील को अंतिम तौर पर निर्णीत कर सकता है– राजस्व मंडल ने मामला पुनः

निर्णीत करने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेक्षित किया– जब रैस्पोडेन्ट प्रतिकूल साबित करने में असफल रहे हों तो अधिकार अभिलेख में प्रविष्टियों के सही होने की उपधारणा की जायेगी– बोर्ड द्वारा पारित निर्णय दोषपूर्ण है एवं अपास्त किया।

विद्धान अधिवक्ता रैस्पोडैन्ट कि ओर से प्रस्तुत अन्य न्यायिक दृष्टांत 2015 आरबीजे पेज 334 में यह व्यक्त किया गया है कि– Code of Civil Procedure, 1908- Sec 100- In excercise of Jurisdiction under this sec. concurrent findings of fact cannot be upset unless the finding so recorded are shown to be preverse. In exercise of jurisdiction under sec. 100 CPC, Concurrent findings of fact cannot be upset by the high court unless the findings so recorded are shown to be preverse. In our considered view, the high court did not keep in view that the concurrent findings recorded by the courts below, are based on oral and documentary evidence and the judgement of the highcourt cannot be sustained.

विद्धान अधिवक्ता रैस्पोडैन्ट कि ओर से प्रस्तुत अन्य न्यायिक दृष्टांत 2009 आरबीजे पेज 725 में यह व्यक्त किया गया है कि– Rajasthan Tenancy act, 1955 -Sec 224 and Code of Civil Procedure 1908- Sec 100- Concurrent Findings Cannot be disturbed in second appeal- The trail court framed seven issues which have been appropirately discussed and decided in light of the oral and documentary evidence adduced. The respondent-plaintiff had been successful in proving her case and as such the trail court rightly decreed the suit which has been correctly upheld by the impugned judgement of revenue appellate ajmer. There are concurrent findings of facts in the concurrent judgements of both the lower courts. No interference can be made in concurrent judgements of the courts in the second appeal.

विद्धान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2012 (1) आरआरटी पेज 177 में यह व्यक्त किया है कि मामले में तनकीयात नही बनायी गयी तो मामले को लिए घातक है। (In a contesting case non-framing of issues is erroneous & judgement is liable to be set aside on this ground.)

विद्धान अधिवक्ता अपीलार्थी कि ओर से प्रस्तुत अन्य न्यायिक दृष्टांत 2011 डीएनजे (सुप्रीम कोर्ट) पेज 89 में यह व्यक्त किया गया है कि– Civil Procedure Code, 1908- Order 41 Rule 31- First Appeal- Disposal of- Valuable right of parties- Whole case is open for re-hearing both on question of facts and law- High court without framing the points for determination and considering both facts and law set aside the

judgement and decree and modified the same without proper discussion and assigning adequate reasons- Judgement is cryptic appeal decided in an unsatisfactory manner and it falls short of consideration which are expected from the first appellate court- Held, Judgement and decree is set aside and case remanded to decide afresh.

10- इस प्रकार उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धांतों के परिपेक्ष्य में यह स्पष्ट है कि मामले में तनकी नहीं बनायी जाती है तो वाद के लिए घातक है। रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत में यह व्यक्त किया है कि तनकीवार निर्णय नहीं दिया और पर्याप्त साक्ष्य है तो अपीलीय न्यायालय भी विचार कर सकता है, लेकिन मौजूदा प्रकरण में तो तनकी बनी ही नहीं है, जबकि आदेश 14 नियम 1 सीपीसी के तहत तनकी बनाया जाना आवश्यक है और प्रत्येक तनकी में विनिश्चय किया जाना भी आवश्यक है। ऐसी स्थिति में विद्धान अधिवक्ता रैस्पोडेन्ट का यह तर्क कि दोनों पक्षों की सहमति से ही बहस की थी, यह तर्क सारहीन है। सहमति किसी तथ्य पर हो सकती है, विधिक बिन्दु पर सहमति का कोई मूल्य नहीं है। यदि कोई व्यक्ति विधि विरूद्ध सहमति करता है तो उसका कोई महत्व भी नहीं है। जहां वाद के कथनों का प्रतिवादी ने खंडन किया है तो वहां उन बिंदुओं पर विवाद बिंदु बनाया जाना और उसके आधार पर ही निर्णय किया जाना आज्ञात्मक प्रावधान है, इसलिए इस प्रकरण में गुणावगुण पर कोई विवेचन करना उचित नहीं है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय में ही कानूनी त्रुटि है और विवाद्यक कायम किये बिना अर्थात् विवाद बिन्दु कायम किये बिना ही निर्णय पारित किया गया है, जो कि विधि की दृष्टि में कायम रखे जाने योग्य नहीं है।

11- परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा वाद संख्या-49/94 बउनवानी श्री चारभुजा जी व अन्य बनाम भाना व अन्य में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09-03-1995 और प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा अपील संख्या-35/95 व 18/95 बउनवानी श्री चारभुजा जी व अन्य बनाम भाना व अन्य में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25-08-2001 को अपास्त किया जाता है और प्रकरण विचारण न्यायालय को इस आदेश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह पत्रावली प्राप्त होने पर दोनों पक्षों की उपस्थिति सुनिश्चत करते हुए एक माह के भीतर विवाद्यक विरचित करे और तत्पश्चात् वादी के साक्ष्य जो वादी पेश करना चाहे, उसको एक माह के भीतर लेखाबद्ध करे और उसी प्रकार प्रतिवादी यदि कोई खंडन साक्ष्य व कोई अन्य साक्ष्य पेश करना चाहे तो एक माह के भीतर प्रस्तुत करे। दोनों पक्षों के साक्ष्य होने के पश्चात् आगामी एक माह के भीतर प्रकरण मे कायम की गई तनकीयों पर गुणावगुण पर तथ्य एवं विधि का विवेचन करते हुए स्पष्ट निष्कर्ष प्रदान करते हुए निर्णय पारित करे। अनावश्यक स्थगन नहीं दिया जावे।

12– पक्षकारों को जरिये अधिवक्ता पाबंध किया जाता है कि वे दिनांक 29–03–2023 को विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुकाम पाली कैम्प सोजत में उपस्थित रहे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राकेश कुमार शर्मा)
सदस्य

(गणेश कुमार)
सदस्य